

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :- 6349 / 2022

कैलाश चन्द यादव

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, निदेशालय संस्कृत शिक्षा, द्वितीय मंजिल, ब्लॉक 6, शिक्षा संकुल, जे.एल. एन.मार्ग, जयपुर।
3. प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, Khairyawali Dhani, मानपुरा मचेडी, जयपुर।
4. सोनू कुमारी जाट, अध्यापक ग्रेड तृतीय लेवल प्रथम (संस्कृत), राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, रामजीपुरा डांगरवाडा, जमवारामगढ़, जिला जयपुर।

—प्रत्यर्थागण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 13.12.2022

आदेश की दिनांक : 16.12.2022

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप कलवानिया, अभिभाषक

समक्ष :- अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम-1976 की धारा-4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड तृतीय लेवल प्रथम (संस्कृत) के पद पर राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, खेरियावाली ढाणी, आमेर, जयपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 20.10.2022 (अनुलग्नक-1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, रामजीपुरा डांगरवाडा, जमवारामगढ़, जयपुर किया गया है। उनका कथन है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण निजी प्रत्यर्था संख्या 4 को अपीलार्थी के स्थान पर समंजित करने के आशय से किया गया है और उसे आदेश दिनांक 03.11.2022 (अनुलग्नक-2) के द्वारा कार्यमुक्त कर दिया गया। अपीलार्थी को ना तो यात्रा भत्ता दिया गया है और ना ही अपीलार्थी ने स्थानान्तरण बाबत कोई आवेदन दिया फिर

भी बिना किसी प्रशासनिक अत्यावश्यकता के अपीलार्थी का स्थानान्तरण कर दिया गया। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डॉ. अजय कुमार शर्मा बनाम राजस्थान राज्य की ओर अधिकरण का ध्यान आकर्षित किया, जिसमें ऐसे स्थानान्तरण आदेशों को अनुचित माना है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण 20 माह की अल्पावधि में ही किया गया है, जो स्थानान्तरण नीति के विरुद्ध है।

अतः उक्त आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जावे तथा आलोच्य आदेश दिनांक 20.10.2022 (अनुलग्नक-1) एवं कार्यमुक्त आदेश दिनांक 03.11.2022 (अनुलग्नक-2) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश फरमाए जावें।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन अध्यापक ग्रेड तृतीय लेवल प्रथम (संस्कृत) के पद पर राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, खेरियावाली ढाणी, आमेर, जयपुर में कार्यरत है। प्रशासनिक आवश्यकताओं एवं छात्रहित में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य (ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532)** के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :-

"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."

जहाँ तक अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को समंजन (accommodate) करने का प्रश्न है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य (ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 552) में समंजन (accommodate) के संदर्भ में यह अवधारित किया है कि :-

"If the competent authority issued transfer orders with a view to accommodate a public servant to avoid hardship, the same cannot and should not be interfered by the Court merely because the transfer order were passed on the request of the employee concerned."

जहां तक अपीलार्थी को यात्रा भत्ता नहीं दिए जाने का प्रश्न है, आलोच्य आदेश अनुलग्नक-1 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 29 पर अंकित है, जिसमें अपीलार्थी को यात्रा भत्ता दिया गया है। अतः अपीलार्थी के इस तर्क में कोई बल प्रतीत नहीं होता है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)